



हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय
Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University
श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड)-246174
Srinagar Garhwal (Uttarakhand) - 246174
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University)

पत्रांक : हे.न.ब.ग.वि.वि./प्रशासन/2021/1210

दिनांक : 6/03/2021

कार्यालय आदेश (1210/2021)

विश्वविद्यालय में नियमित रूप से कार्यरत समस्त शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पहचान पत्र (Identity Card) बनाये जाने हैं, जिस हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर वर्णित दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

1. पहचान पत्र की वैधता निर्गत तिथि से 05 वर्ष की होगी। वैधता तिथि से पूर्व जो शिक्षक/अधिकारी/शिक्षणेत्तर कर्मचारी सेवा निवृत्त होंगे उनके पहचान पत्र की वैधता सेवा निवृत्ति तिथि तक ही मान्य होगी।
2. पहचान पत्र को हैल्थ कार्ड के रूप में भी प्रयोग किया जायेगा। केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना (CGHS) के तहत जो भी चिकित्सालय विश्वविद्यालय से अनुबन्धित हैं उन्हें पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा कि विश्वविद्यालय के जो भी शिक्षक/अधिकारी/शिक्षणेत्तर कर्मचारी और उनके पाल्य स्वास्थ्य उपचार हेतु उनके चिकित्सालय में आयें इसी परिचय पत्र को विश्वविद्यालय की अधिकृत पत्र मानकर परिचय पत्र पर छपे बार कोड से सम्बन्धित की जानकारी लेकर केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना (CGHS) की दरों पर स्वास्थ्य उपचार करवायें।
3. विश्वविद्यालय में कार्यरत कोई भी शिक्षक/अधिकारी/शिक्षणेत्तर कर्मचारी परिचय पत्र का दुरुपयोग नहीं करेगा व विश्वविद्यालय एवं परिसरों में इसे प्रदर्शित करेगा सुरक्षा कर्मियों द्वारा परिचय पत्र जांच में उन्हें दिखाकर सहयोग प्रदान करेगा अन्यथा कि स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
4. शिक्षक/अधिकारी/शिक्षणेत्तर कर्मचारी का स्थानान्तरण/सेवा निवृत्त/नौकरी छोड़ने की दशा में परिचय पत्र विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंपकर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।
5. परिचय पत्र खो जाने की स्थिति में पुनः बनाये जाने के लिये प्रार्थना पत्र सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त निर्धारित शुल्क जमा कर नया परिचय पत्र निर्गत किया जायेगा।
6. परिचय पत्र के सुरक्षा की जिम्मेदारी सम्बन्धित शिक्षक/अधिकारी/शिक्षणेत्तर कर्मचारी की होगी।

आज्ञा से
कुलपति

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त संकायाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना से अपने अधीनस्थ विभागों में प्रचारित एवं प्रसारित करने का कष्ट करें।
2. निदेशक, चौरास/टिहरी/पौड़ी परिसर/निदेशक, शारीरिक शिक्षा/एच.ए.पी.पी.आर.सी.।
3. मुख्य नियन्ता/अधिष्ठाता छात्र कल्याण/परीक्षा नियंत्रक/पुस्तकालयाध्यक्ष।
4. सिस्टम मैनेजर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्यालय आदेश को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5. समस्त उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव/अनुभाग अधिकारी/सुरक्षा अधिकारी/प्रभारी उप कार्यालय देहरादून।
6. अधिशासी अभियन्ता (सिविल)/प्रभारी, सहायक अभियन्ता (विद्युत)।
7. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
8. निजी सचिव, वित्त अधिकारी/कुलसचिव।
9. गार्ड फाइल/विश्वविद्यालय नोटिस बोर्ड।

कुलसचिव
06/03/21